



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 195-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2018 (KARTIKA 29, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 नवम्बर, 2018

संख्या 18/110/2017-3क1.— हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24), की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18/110/2017-3क1, दिनांक 14.09.2017 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को जिला-कुरुक्षेत्र में नगर पालिका, इस्माईलाबाद के नाम से एक नगर पालिका घोषित करते हैं।

सीमा की अनुसूची

उत्तर :- मौजा इस्माईलाबाद के नम्बर खसरा 1 में लगे सेहहदा से पूर्व की तरफ चलते हुये गांव चम्मू की सीमा के साथ-2 चलकर एन.एच.-65 को पार करके इस्माईलाबाद के नम्बर खसरा 2064 में लगे सेहहदा व इससे आगे गांव खेडीशहीदा की सीमा के साथ-2 इस्माईलाबाद के नम्बर खसरा 2178 तक।

पूर्व :- मौजा इस्माईलाबाद के नम्बर खसरा 2178 से शुरू होकर नीचे दक्षिण की तरफ चलते हुये गांव खेडीशहीदा व आगे गांव नूरपुर बुच्ची की सीमा के बाद गांव ठसका मीरांजी की सीमा के साथ-2 होते हुये गांव इस्माईलाबाद के नम्बर खसरा 3698 में लगे सैहदा तक।

दक्षिण :- मौजा इस्माईलाबाद के नम्बर खसरा 3698 में लगे सेहहदा से लेकर गांव जलबेहडा की सीमा के साथ-2 पश्चिम की तरफ चलते हुये एन.एच.-65 को पार करके आगे जाकर गांव टबरा की सीमा के साथ-2 गांव इस्माईलाबाद के नम्बर खसरा 1289 में लगे सेहहदा तक।

पश्चिम :- मौजा इस्माईलाबाद के नम्बर खसरा 1289 में लगे सेहहदा से उपर उत्तर की तरफ चलते हुये गांव थान्डदा की सीमा के साथ-2 जाकर थान्डदा रोड को पार करते हुये पश्चिम की तरफ जाकर शेरगढ माईनर को पार करते हुये सेहहदा जैतपुरा देह देहहजा थान्डदा से चलकर गांव जैतपुरा जिला अम्बाला की सीमा के साथ-2 चलकर नम्बर खसरा 851 में लगे सेहहदा से उपर उत्तर की तरफ चलते हुये गांव रोशनपुर जिला-अम्बाला की सीमा के साथ-2 जाकर गांव इस्माईलपुर की सीमा के साथ-2 चलते हुये फिर शेरगढ माईनर व रोशनपुर रोड को पार करते हुये गांव इस्माईलाबाद की सीमा के साथ-2 उत्तर की तरफ चलते हुये इस्माईलाबाद के नम्बर खसरा 1 में लगे सेहहदा, जो कि सीमा का प्रारम्भिक बिन्दु है, तक।

आनन्द एम० शरण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 20th November, 2018

No. 18/110/2017-3C1.— In exercise of powers conferred by the Sub-Section (1) and (6) of Section 3 of the Haryana Municipal Act, 1973, and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department, Notification No. 18/110/2017-3C1, dated 14.09.2017, the Governor of Haryana hereby declare the local area as mentioned in the schedule given below to be Committee in the name of Municipal Committee, Ismailabad in District- Kurukshetra.

SCHEDULE OF BOUNDARIES

North:- Starting moving from Sehhada in Khasra No. 1 of village Ismailabad towards East by crossing NH-65 on moving with the limits of area of village Chammu Kalan to Sehhada in Khasra No. 2064 of village Ismailabad and Khasra No. 2178 of village Ismailabad adjoining the limit of Kheri Shahidan.

East:- Starting moving from Khasra No. 2178 of village Ismailabad in South direction to Sehhada in Khasra No. 3698 of village Ismailabad adjoining the limit of Kheri Shahidan, Nurpur Buchhi & Thaska Miranji.

South:- Starting moving from Sehhada in Khasra No. 3698 of village Ismailabad towards west adjoining the limit of village Jalbehra & further by crossing NH-65 to Sehhada in Khasra No. 1289 of village Ismailabad adjoining the limit of village Tabra.

West:- Starting moving towards village Thandran in North from Sehhada in Khasra No. 1289 of village Ismailabad now move towards west after crossing the village Thandran road by crossing Shergarh miner from there Sehhada Jaitpura, Dehhaja, Thandran to village Jaitpura (Ambala). Moving towards north from Sehhada in Khasra No. 851 to limit of village Roshanpura (Ambala) from these moving adjoining the limit of village Ismailapur by crossing Shergarh Miner and Roshanpur road to Sehhada in Khasra No. 1 of village Ismailabad that is the end point of the boundary.

ANAND M SHARAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.